न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 11 / 2021

1 फुलचन्द उम्र 50 साल पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 ईश्वरराम पुत्र स्व. कानाराम
2 श्योचन्द पुत्र स्व. कानाराम
3 जमना देवी पत्नी भंवरलाल
4 रामचन्द्र पुत्र भंवरलाल
5 बुद्धराम पुत्र भंवरलाल
6 मोहनी पत्नी लालचन्द
7 हरीराम पुत्र स्व. लालचन्द
8 राजेश पुत्र स्व. लालचन्द
9 शेराराम पुत्र स्व. लालचन्द
10 बंटी पुत्र स्व. लालचन्द
समस्त जाति नायक निवासीगण चैनपुरा बड़ा तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
जिला झुन्झुनूं कैम्प कोर्ट रघुनाथुपरा मुकदमा उनवानी
कानाराम बनाम मालाराम वगै. प्रार्थना पत्र अ. आदेश 09
नियम 13 जा.दी. मु.नं. 97 / 2007 आदेश दिनांक
11.06.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 20/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 97/2007 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के यहां दावा उनवानी कानाराम बनाम माला दावा संख्या 75/86 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.1988 में एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 9 नियम 13 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 11.06.2018 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। आदेश जैर बहस के आधार न्यायिक नहीं है। आदेश जैर बहस में जो आधार विचारण न्यायालय ने दर्ज किये है उनके आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने का प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय ने आदेश में जो आधार दर्ज किये है, वह हास्यास्पद है। मियाद के बिन्दु को अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है। कानून में ऐसी कोइ व्यवस्था नहीं है कि निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रभावित पक्षकार अपील प्रस्तुत कर ही अनुतोष प्राप्त करें। एकपक्षीय निर्णय व डिक्री के विरूद्ध आदेश 09 नियम 13 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। विचारण न्यायालय ने यह दर्ज किया है कि अपीलान्ट को उसी न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था जहां निर्णय हुआ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

है ओर यह तथ्य दर्ज किया है कि विचारण न्यायालय सन 2001 में नवसृजित हुई है। उक्त व्याख्या भी गलत की गई है। विचारण न्यायालय को आवेदक के प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार रहा है। कानून से प्रार्थना पत्र नवसृजित न्यायालय में ही प्रस्तुत करने का प्रावधान है। विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है। निर्णय जैर बहस कैम्प कोर्ट रघुनाथुपरा में पारित हुआ है। कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने हेतु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता को कभी सूचित नहीं किया। मनमर्जी से निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार आदेश जैर बहस खारिज होने योग्य है। प्रकरण संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने व कायम मुकामान की तलबी हेतु नियत था। उक्त तथ्य की ताईद आदेशिका दिनांक 28.10.2010 व दिनांक 08. 11.2016 से होती है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ पेश की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2003 सू.कोर्ट पेज 626 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 75/1986 उनवानी कानाराम बनाम मालाराम में दिनांक 31.10.1988 को निर्णय पारित किया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट के पिता ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.08.2007 को अर्थात 19 वर्ष के असाधारण विलम्ब से आदेश 09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन पर बाद सुनवाई असाधारण विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन निर्णय दिनांक 11.06.2018 से अपीलांट के पिता का आवेदन आदेश 09 नियम 13 खारिज किया है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट की ओर से अपील तीन साल के असाधारण विलम्ब से दिनांक 16.02.2021 को प्रस्तुत की गई है। इस विलम्ब के लिए अपीलान्ट ने केवल यह कथन किया है कि उनके अधिवक्ता द्वारा समय पर जानकारी नहीं दी गई। अपीलान्ट अनुसूचित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाति का काश्तकार व्यक्ति है। तीन साल के असाधारण विलम्ब के लिए अपीलान्ट द्वारा अंकित तथ्य संतोषप्रद नहीं माने जा सकते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 75/1986 उनवानी कानाराम बनाम मालाराम में दिनांक 31.10.1988 को निर्णय पारित किया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट के पिता ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.08.2007 को अर्थात 19 वर्ष के असाधारण विलम्ब से आदेश 09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन पर बाद सुनवाई असाधारण विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन निर्णय दिनांक 11.06.2018 से अपीलांट के पिता का आवेदन आदेश 09 नियम 13 खारिज किया है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट की ओर से अपील तीन साल के असाधारण विलम्ब से दिनांक 16.02.2021 को प्रस्तुत की गई है। इस विलम्ब के लिए अपीलान्ट ने केवल यह कथन किया है कि उनके अधिवक्ता द्वारा समय पर जानकारी नहीं दी गई। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का काश्तकार व्यक्ति है यह कथन विलम्ब कंडोन करने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता है। तीन साल के असाधारण विलम्ब के लिए अपीलान्ट द्वारा अंकित तथ्य संतोषप्रद नहीं माने जा सकते है। फलतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर